न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 137/2021 (2021/203) दायर दिनांक 25.06.2021

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

शीर्षक

भेरूलाल पिता पृथ्वीराज जाट निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

––विपक्षी

उपस्थिति :– अधिवक्ता प्रार्थी : श्री रितेश सुराणा
पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांक:–02.07.2021

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षी के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 4663/655 रकबा 0.5650 हे0 भूमि स्थित है। जिसके लिये जमाबंदी व नक्शाट्रेस पेश है।

यह कि उक्त आराजी चारो ओर से अन्य सह खातेदारो की आराजियात से घिरी हुई है जिसमें आम रास्ते से सीधे आवागमन का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। जिससे आये दिन मेरी उक्त वर्णित आराजी में आवागमन एवं काश्त करने में व्यवधान रहता है।

यह कि प्रार्थी की आराजी के पश्चिम दिशा में बिलानाम आराजी संख्या 857 रकबा 0.11 हे0 स्थित है जो आम रास्ता [illegible] सड़क मार्ग से लगी हुई हैं जिससे होकर प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित आराजी [illegible] पैदल, संज, बैल गाड़ी सहित आवागमन करता आ रहा हैं लेकिन मौके पर रास्ता [illegible] एवं रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से उसे अपने खेत पर पहुंचने एवं काश्त करने में कई प्रकार की दिक्कतों व परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:39:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

जिससे प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 4663 / 855 तक पहुँचने हेतु उक्त आराजी संख्या 857 से करीब 18 फीट चौड़ाई के रास्ते की आवश्यकता है। जिस हेतु प्रार्थी आवश्यक राशि जमा करवाने को तैयार है जिससे प्रार्थी को उक्त आराजी संख्या 857 से 18 फीट चौड़ाई का रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

प्रार्थी की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ता अत्यंत आवश्यकता का रास्ता है।

यह कि प्रार्थी नियमानुसार विपक्षी की आराजी मे रास्ता दर्ज करने में उपयोग आने वाली भूमि की डी0एल0सी0 दर से राषि विपक्षीगण को देने को तैयार है।

प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की आराजी संख्या 4663 / 855 में आवागमन हेतु उक्त आराजी के पश्चिम दिशा में स्थित आराजी संख्या 857 मे से 18 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रार्थी से निमयानुसार राशि जमा कर राजस्व रेकार्ड व नक्शे में दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

प्रकरण विधिवत इस न्यायालय में दिनांक 25.06.2021 को दर्ज रजिस्टर किया गया। पेरोकार सरकार उपस्थित पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाव की आवश्यकता नहीं होने से जवाबदेही बंद की जाती है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व / 21 / 446 दिनांक 30.06.2021 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

<u>मौका पर्चा अनुसार :—</u>

—यह कि ग्राम सोनियाणा प0ह0 सोनियाणा के आराजी नं0 4463 / 855 रकबा 0.5650 हे0 भुमि प्रार्थी भैरूलाल पिता पृथ्वीराज जाट निवासी सोनियाणा के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड होकर उक्त आराजी में आवागमन का रास्ता बना हुआ नहीं है, किन्तु बिलानाम आराजी संख्या 857 में से 0.0060 हे0 अर्थात 60 वर्गमीटर भूमि प्रार्थी द्वारा उपयोग में ली जा रही है।
—यह कि मौके पर रास्ता बंद नहीं है।
—यह कि मौके पर उक्त आवेदित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं।
—यह कि वर्तमान में उक्त आराजी पर बिलानाम आराजी नं0 857 में से होकर आवागमन किया जा रहा है।
— यह कि उक्त रास्ते हेतु बिलानाम आराजी नं0 857 रकबा में से 0.11 हे0 किस्म बीड़ में से 0.0060 हे0 अर्थात 60 वर्गमीटर भूमि प्रस्तावित है। ग्राम सोनियाणा की असिंचित पास की डी0एल0सी0 दर 200448 / — प्रति हैक्टेयर निर्धारित है, जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि 0.0060 हे0 अर्थात 60 वर्गमीटर भूमि की मालियत 1743 / —रूपये होती है। जिसकी दुगुनी राशि 3486 / — रूपये होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:39:29 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

– यह कि प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है।
–यह कि मौके पर उक्त आवेदित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थी अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी नं0 4463/855 में आवागमन हेतु आराजी नं0 857 रकबा 0.11 हे0 किस्म बीड़ में से 0.0060 हे0 अर्थात 60 वर्ग मीटर भूमि का रास्ता चाहा गया है जिसके अनुसार आराजी नं0 857 में से 0.0060 हे0 भूमि उक्त रास्ते में प्रभावित होगी। है। ग्राम सोनियाणा की असिंचित पास की डी0एल0सी0 दर 200448/– रूपये प्रति हेक्टयर निर्धारित है, जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि 0.0060 हे0 अर्थात 60 वर्गमीटर भूमि की मालियत 1743/–रूपये होती है। जिसकी दुगुनी राशि 3486/– रूपये होती है।
मौका पर्चा रिर्पोट में प्रस्तावित रास्ते की भुमि को नजरी नक्शे मे लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। प्रार्थी को अपनी कुषि भुमि आराजी नं0 4463/855 में आने जाने के लिए प्रस्तावित भुमि के लिए विपक्षी की आराजी नं0 857 में से 0.0060 हे0 भूमि प्रभावित होगी अर्थात रास्ते हेतु कुल 0.0060 हे0 भूमि का नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाता है। विपक्षी की ग्राम सोनियाणा प0ह0 सोनियाणा की आराजी नं0 857 में से 0.0060 हे0 भूमि रास्ते हेतु बनती है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 200448/– है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार डी0एल0सी0दर से मालीयत मालियत 1743/– रूपये होती है जिसकी दुगुनी राशी 3486/– रूपये प्रार्थी विपक्षी सरकार को भुगतान करने के पश्चात उक्त 0.0060 हैक्ट. भुमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थी से उक्तानुसार राशि 3486/– वसुल कर नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का सोनियाणा की आराजी संख्या 857 रकबा 0.0060 हे0 यानी 18 फिट चौड़ा रास्ता मौके [illegible] बिलानाम गै0मु0 रास्ता दर्ज अभिलेख करें तथा तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावें। [illegible] बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2021 मेरे द्वारा [illegible] जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:39:29 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
~~उपखण्ड अधिकारी~~
सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner